न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./62/2023

1. सुरेशचन्द शर्मा पुत्र छीतरमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी काचरियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी हाल मुकाम एफ–35 हीरा फैक्ट्री के पास भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. गीता पत्नी श्री रामचन्द्र जाट जाति जाट निवासी ग्राम काचरिया पोस्ट नान्दसी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. घीसालाल शर्मा पुत्र श्री छीतरमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम काचरिया पोस्ट नान्दसी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. रतनलाल शर्मा पुत्र श्री कालूराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम काचरिया पोस्ट नान्दसी तहसील भिनाय जिला केकड़ी हाल मुकाम ए–111 विवेकानन्द कॉलोनी, गायत्री नगर भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. रमेशचन्द शर्मा पुत्र श्री छीतरमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सेक्टर नम्बर 10 मकान नम्बर एफ–28 आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. राजेन्द्र शर्मा(वाटर वॉक्स वाले) पुत्र श्री कालूराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम काचरिया पोस्ट नान्दसी तहसील भिनाय जिला केकड़ी हाल मुकाम विजयसिंह पथिक नगर भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. रामप्रसाद शर्मा पुत्र श्री कालूराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम काचरिया पोस्ट नान्दसी तहसील भिनाय जिला केकड़ी हाल मुकाम नम्बर 2 बी–15 आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
8. शिवनारायण शर्मा पुत्र श्री कालूराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
9. रामचन्द्र जाट पुत्र श्री सुवालाल जाट जाति जाट निवासी ग्राम काचरिया पोस्ट नान्दसी तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति पुष्पा जाट पत्नी श्री नारायण जाट जाति कलवादिया(जाट) निवासी ग्राम काचरिया पोस्ट नान्दसी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांकः–31.01.2023

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री सुरेश दाधीच, रेखा चोहान
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा काचरिया पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 310 में दर्ज खसरा नं. 414 रकबा 0.45 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.45 हैं0 तथा खाता सं0 250 में दर्ज खसरा नं. 415 रकबा 1.14 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.14 हैं0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 2 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं0 01 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राजहित प्रभावित ना होने की टिप्पणी अंकित की। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम काचरियां के खाता संख्या 310 तथा खाता संख्या 250 संवत 2074–2077(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयां की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा काचरिया पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 310 में दर्ज खसरा नं. 414 रकबा 0.45 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.45 हैं0 तथा खाता सं0 250 में दर्ज खसरा नं. 415 रकबा 1.14 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.14 हैं0** हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
भिनाय (केकड़ी)

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)